न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(25)

प्रकरण कमांक — /2018 निगरानी

नि/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0177

बेटीबाई पत्नी बारेलाल अहिरवार
निवासी ग्राम– खरोई तहसील –जतारा
जिला– टीकमगढ —— आवेदक

विरूद्ध

1. दुर्जनसिंह आत्मज बिलासी
2. उपेन्द्र नाबालिग पुत्र दुर्जनसिंह द्वारा
3. परिरक्षक पिता दुर्जनसिंह पाल
संरक्षक पिता दुर्जनसिंह पाल
निवासी गण ग्राम – फूटा खिरक
तहसील– जतारा जिला टीकमगढ
4. बाकेलाल तनय लछू अहिरवार
5. नन्नू पुत्र लच्छू अहिरवार
6. संजू पुत्र मुकुन्दे अहिरवार
7. रगवर पुत्र मकुन्दे अहिरवार
समस्त निवासीगण ग्राम– खरोई
तहसील–जतारा जिला–टीकमगढ

श्री S.K.V... द्वारा आज दि. 4-1-2018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-1-2018 नियत।
4-1-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

राजस्व निरीक्षक मण्डल दिगौड़ा द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदिका निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है:–

1. यह कि, राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदिका भूमि सर्वे कमांक 33/1 रकबा 0.687 हेक्टेयर की अभिलिखित भूमि स्वामी है. आवेदिका द्वारा उक्त आराजी पंजीकृत विकय पत्र के जर्ये 29–10–2007 को कय की थी तब से आवेदिका का भूमि पर वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा है.

3. यह कि, अनावेदक कमांक 1 से 3 द्वारा कलेक्टर महोदय के न्यायालय में जनुसुनवायी में अपनी भूमि खसरा कमांक 30/1, 31/1 तथा 36/7 के सीमाकंकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर की गयी कार्यवाही मे आवेदिका को सुचना एवं सुनवायी का कोई अवसर प्रदान किये बिना विवादित सीमाकंन की कार्यवाही की गयी जो कि पूर्णतः अवैध कार्यवाही है. 1988 रेवेन्यू निर्णय 105 जनसुनवायी में दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त नही की जा सकता है. विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का पालन किंया जाना आवश्यक है.

4. यह कि, सीमांकन की कार्यवाही में आवेदिका की संपूर्ण भूमि सर्वे कमांक 33/1 रकबा .687 को मनमाने ढंग से पटवारी और आर आई द्वारा अनावेदक की भूमि मे शामिल कर दिया गया है जिससे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –एक/ निग./टीकमगढ़/भू.रा./2018/0177

बेटीबाई विरूद्ध दुर्जनसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल दिगौड़ा, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 01-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 25/4/19 (आर.के. जैन) सदस्य	